बीस रुपये TWENTY RUPEES

वकील

532

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय लिंक कोर्ट सागर म.प्र.

निग - 175 - II-16

प्रकरण क्रं. सन् 2015

शंकर लाल तनय बल्दुवा अहिरवार आयु 30 साल
निवासी ग्राम गुरईया, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. ---- निगरानीकर्ता

बनाम

1. गोरेलाल तनय छोटेलाल अहिरवार
2. कैलाश तनय कम्मोदा अहिरवार
3. गौरीशंकर तनय रिक्वा अहिरवार
4. कौशल तनय चन्दूलाल अहिरवार
5. चिन्जीलाल तनय लखन अहिरवार
6. मनोज तनय बल्दुवा अहिरवार
7. श्यामलाल तनय दसईया अहिरवार
8. कल्लू तनय सरमन अहिरवार
9. हल्काई तनय पिरवा अहिरवार
10. भग्गी तनय जनकुआ अहिरवार
11. कहोरी तनय नथुवा अहिरवार
12. नन्दी तनय मोतीलाल अहिरवार
13. बल्दुवा तनय लाल्ले अहिरवार
14. तुनवा तनय भगुन्ता अहिरवार
15. झलुवा तनय दिलिया अहिरवार

समस्त निवासीगण ग्राम गुरईया, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. --- गैर निगरानीकर्तागण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता पुनरीक्षण विरुद्ध तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 122 /बी- 121 /14-15 में पारित आदेश दि. 4/8/2015

श्रीमानजी,

आवेदक / निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत करता है -

1. यह कि आवेदक ग्राम गुरईया तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. का निवासी है।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर</u> 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निग.-175-दो/2016 जिला-छतरपुर

<u>शंकर लाल विरूद्ध गोरेलाल आदि</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 122/ बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04-08-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-01-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका	

का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19

सदस्य